

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र0/ऊर्जा ब्रेडा-02/2025-

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

सुधा गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-

मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजनान्तर्गत जिला समाहरणालय, अस्पताल एवं अतिथि गृह में अधिष्ठापित रूफटॉप पावर प्लांट को ऑफग्रीड से ऑनग्रीड में परिवर्तन करने हेतु 3,38,88,600/- (तीन करोड़ अड़तीस लाख अठ्ठासी हजार छः सौ) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरी राशि 3,38,88,600/- (तीन करोड़ अड़तीस लाख अठ्ठासी हजार छः सौ) रुपये ब्रेडा को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-4786 दिनांक-26.09.2025 के आलोक में मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजनान्तर्गत जिला समाहरणालय, अस्पताल एवं अतिथि गृह में अधिष्ठापित रूफटॉप पावर प्लांट को ऑफग्रीड से ऑनग्रीड में परिवर्तन करने हेतु 3,38,88,600/- (तीन करोड़ अड़तीस लाख अठ्ठासी हजार छः सौ) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरी राशि 3,38,88,600/- (तीन करोड़ अड़तीस लाख अठ्ठासी हजार छः सौ) रुपये ब्रेडा को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि मांग संख्या-10, मुख्य शीर्ष 2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-104-नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डीजाइन तथा विकास, उप शीर्ष-0101-अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत, विपत्र कोड-10-2810001040101 विषय शीर्ष-31.06 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है:-

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
100,00,00,000.00	40,00,00,000.00	3,38,88,600.00	43,38,88,600.00	56,61,11,400.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

9

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर ब्रेडा के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0063-बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलमेंट एजेंसी, व्यय शीर्ष-L8448001200063 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200063 में जमा की जाएगी।

7. बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलमेंट एजेंसी द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या-PTSPLA023 से की जाएगी।

8. उक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/ऊर्जा ब्रेडा-02/2025-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/ऊर्जा ब्रेडा-02/2025- 144

/पटना, दिनांक- 03.10.2025

प्रतिलिपि:-लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा-7, वित्त विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/निदेशक, ब्रेडा, पटना एवं आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।